

राजस्थान परिवहन निगम

राजस्थान मूल के विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को राजस्थान सरकार के
निर्देश/अनुमोदन
अनुसार देय यात्रा सुविधाओं का विवरण

क्र०सं०	श्रेणी	देय सुविधा	सुविधा देय तिथि
1	पत्रकार	निःशुल्क	वर्ष 1974
2	विद्यार्थी	किराये में 50 प्रतिशत की छूट	वर्ष 1974
3	नेत्रहीन	निःशुल्क	वर्ष 1974
4	नेत्रहीन का एक सहयोगी	निःशुल्क	09.03.2005
5	विकलांग(अस्थि विकलांग)	किराये में 75 प्रतिशत की छूट	वर्ष 1978
6	कैन्सर रोगी	किराये में 75 प्रतिशत की छूट	01.05.1984
7	कैन्सर रोगी का एक सहयोगी	किराये में 50 प्रतिशत की छूट	25.08.2003
8	स्वतन्त्रता सैनानी	निःशुल्क	01.04.1987
9	स्वतंत्रता सैनानी का एक सहयोगी	निःशुल्क	01.04.1987
10	स्वतंत्रता सैनानियों की विधवाएं	निःशुल्क	04.05.1989
11	स्वतंत्रता सैनानियों की विधवाओं का एक सहयोगी	निःशुल्क	02.03. 2007
12	युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाएं एवं उन पर आश्रित अवयस्क संतानें	निःशुल्क	08.07.1999
13	असंक्रामक कुष्ठ रोगी	किराये में 75 प्रतिशत की छूट	01.04.1987
14	थैलीसीमिया रोगी	किराये में 75 प्रतिशत की छूट	वर्ष 1992
15	थैलीसीमिया रोगी का एक सहयोगी	किराये में 50 प्रतिशत की छूट	25.08.2003
16	राज्य की अनुसूचित जाति एवं	निःशुल्क	जून, 1994

	आदिवासी क्षेत्र की आदिवासी बालिकाएं कक्षा 8 तक अध्ययन हेतु स्कूल जाने व आने के लिए		
17	श्रवण बाधित	किराये में 75 प्रतिशत की छूट	31.08.1998
18	मानसिक विमन्दिता	निःशुल्क	31.08.1998
19	मानसिक विमन्दिता का एक सहयोगी	किराये में 50 प्रतिशत की छूट	31.08.1998
20	एड्स रोगी	किराये में 75 प्रतिशत की छूट	25.08.2003
21	65 वर्ष व उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक	किराये में 30 प्रतिशत की छूट	सितम्बर, 04 से
		राज्य सीमा से बाहर यात्रा पर किराये में 30 प्रतिशत छूट	16.10.06
22	महिलाओं द्वारा समूह में (न्यूनतम 5 महिलायें) यात्रा करने पर	यात्री किराये में 25 प्रतिशत की छूट	14.05.2007